UPAG010062032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 2638/2026

1. रघुनंदन पाराशर पुत्र स्व0 देवकीनंदन पाराशर उम्र 48 वर्ष
2. अनीता पाराशर पत्नी रघुनंदन पाराशर उम्र करीब 45 वर्ष
निवासीगण– 278, जयपुर हाउस, थाना लोहामण्डी, आगरा

.... अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य

–अभियोगी

मु0अ0सं0: 374/2017
धारा– 420,467,468,471,120बी,504,506 भा0दं0सं0
थाना–जगदीशपुरा, जिला आगरा।

<u>दिनांक: 17.07.2026</u>

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण रघुनंदन पाराशर तथा अनीता पाराशर की ओर से मु0अ0सं0 374/2017 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120बी,504,506 भा0द0सं0 थाना जगदीशपुरा, आगरा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उनको झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है एवं दिनांक 28.11.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। संज्ञान आदेश के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 दं0प्र0सं0 संख्या 27486/2021 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 09.05.2022 के माध्यम से संज्ञान आदेश को अपास्त करते हुए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः विद्वान

मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया, परन्तु संज्ञान आदेश में यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि किन किन धाराओं के अन्तर्गत अपराध का गठन होता है। वादी द्वारा प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराने से पूर्व एक अभियोग मु0अ0सं0 193/2016 थाना सैंया,आगरा पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें विवेचना के उपरान्त अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी, जो दिनांक 04.10.2021 को स्वीकार किया गया। वादी द्वारा अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने के विरूद्ध निगरानी योजित की गयी, जो दिनांक 18.03.2026 को निरस्त हो चुकी है। मु0अ0सं0 193/2016 की विवेचना लम्बित रहते हुए वादी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए समान प्रकृति के तथ्यों के आधार पर धारा 156(3) दं0प्र0सं0 दिनांक 12.09.2016 को प्रस्तुत किया गया, जो आदेश दिनांकित 30.11.2016 के माध्यम से निरस्त किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद वादी द्वारा निरस्त आदेश को छिपाकर समान एवं झूठे तथ्यों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से आदेश कराकर प्रस्तुत प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। कथित समिति के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध समान प्रकृति के तथ्यों पर एक अन्य अभियोग मु0अ0सं0 158/2018 अन्तर्गत धारा 506,427,470,468,467,420 भा0द0सं0 पंजीकृत कराया गया, जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। समिति के प्रबंधकीय विवाद के वसंबंध में एक वाद ब्रजेश शुक्ला द्वारा उप निबन्धक/फर्म एण्ड सोसाइटी, आगरा के यहां प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। अभियुक्त रघुनंदन पाराशर द्वारा समिति के संबंध में वादी ब्रजेश शुक्ला के विरूद्ध मु0अ0सं0 157/2019 थाना सैंया आगरा पर पंजीकृत कराई थी। मु0अ0सं0 193/2016 के प्रकरण में अन्तिम आख्या स्वीकार हो चुकी है, मु0अ0सं0 158/2018 के प्रकरण में अभियुक्त की जमानत दिनांक 12.05.2026 को स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्ता अनीता पाराशर के विरूद्ध वादी द्वारा एक अन्य अभियोग मु0अ0सं0 193/2016 दर्ज कराया गया था, जिसमें अन्तिम आख्या स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी की आशंका है, अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ब्रजेश शुक्ला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को प्रार्थनापत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वह रघुराम एजूकेशनल सोसाइटी, 278, जयपुर हाउस आगरा का प्रबन्धक है तथा उक्त सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2010 में कराया गया था, जिसका पंजीकरण संख्या- 663/2011 है। उक्त संस्था को उसके पिता सुरेशचन्द्र, राम लक्ष्मन, महेशचन्द्र, लक्ष्मीनारायन पुत्रगण रामजीलाल ने रघुराम महाविद्यालय, किशोरा का बाग, वीरई आगरा को अपनी भूमि रजिस्ट्री द्वारा दी गयी थी। उक्त सोसाइटी का

कार्यकाल दिनांक 01.07.2015 को समाप्त हो रहा था, परन्तु सोसाइटी का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व दिनांक 20.02.2015 को सोसाइटी के अध्यक्ष डी0एन0 पाराशर की मृत्यु हो गयी। उक्त सोसाइटी में भगवान देवी पत्नी महेशचन्द्र शुक्ला उप प्रबन्धक तथा अनीता पाराशर पत्नी रघुनंदन पाराशर उपाध्यक्ष थी। दिनांक 07.09.2015 को उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स फण्ड कार्यालय थाना जगदीशपुरा, आगरा के अन्तर्गत अनीता पाराशर एवं रघ ुनंदन पाराशर दोनों ने षडयंत्र रचकर फर्जी, कूटरचित प्रपत्रों के माध्यम से प्रबन्धक एवं सदस्यगणों की निर्वाचन कार्यवाही स्वयं कर ली तथा शपथपत्र दिनांक 07.09.2015 व मीटिंग कार्यवाही दिनांक 05.07.2015, प्रबन्धकारिणी वर्ष 2015–16 व नवीनीकरण प्रार्थनापत्र एवं पुष्टि कार्यवाही दिनांकित 02.08.2015, मीटिंग कार्यवाही दिनांक 12.06.2015 तथा साधारण सभा की सूची वर्ष्ज्ञ 2015, 10 बैलेंस शीट एवं मैम्बरशिप की रसीदों पर वादी/प्रबन्धक ब्रजेश शुक्ला के फर्जी, कूटरचित हस्ताक्षर कर आपराधिक षडयंत्र के तहत कूटरचना कर सोसाइटी का नवीनीकरण कराया गया तथा कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती राजकुमारी व मिठ्ठनलाल के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर मीटिंग की कार्यवाही को पूर्ण किया गया है, जब कि उक्त दोनों कार्यकारिणी सदस्यों ने किसी भी दिन मीटिंग की कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। साधारण सभा की सूची में भी दस फर्जी सदस्यों के नाम की बढ़ोत्तरी की गयी, जो फर्जी तरीके से कूटरचना है। इन्हीं कूटरचित फर्जी दस्तावेजों की चिट्स फण्ड कार्यालय में दिनांक 07.09.2015 को उसके कूटरचित हस्ताक्ष्ज्ञर कर दिनांक 10.09.2015 को नवीनीकरण का मूल प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया तथा स्वयं अनीता पाराशर फर्जी तरीके से उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनकर श्रीमती भगवानदेवी पत्नी महेशचन्द्र को उप प्रबन्धक पद से हटा दिया, जब कि वादी/प्रबन्धक द्वारा किसी भी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। उक्त अनीता पाराशर एवं उसके पति रघुनंदन पाराशर द्वारा षडयंत्र के तहत फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अनीता पाराशर द्वारा स्वयं को अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण की बढ़ोत्तरी साधारण सभा में की गयी है। उक्त बढ़ोत्तरी के आधार पर साधारण सभा के 12 सदस्यों की जगह 21 सदस्यों की साधारण सभा की बढ़ोत्तरी की गयी है। उक्त अनीता पाराशर एवं रघुनंदन पाराशर द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने एवं संस्थान की भूमि/संपत्ति को हड़पने के आशय से वादी एवं अन्य सदस्यों के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर करके कार्यकारिणी सभी दर्शाकर संस्था का नवीनीकरण कराया गया है। उक्त संस्था को चलाने हेतु बैंक ऑफ इण्डिया, कमला नगर, आगरा से ऋण लिया गया है तथा गारण्टर के रूप में वादी के मित्र द्वारा अपने मकान के कागजात दाखिल

किये गये हैं, उक्त ऋण की अदायगी वादी द्वारा की जा रही है।

वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 374/2017 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120बी,504,506 भा0दं0सं0 अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है ।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित हैं। अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं अन्य सदस्यों के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर सोसाइटी का नवीनीकरण कराया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण में से अभियुक्ता श्रीमती अनीता पाराशर रघुराम एजूकेशनल सोसाइटी, 278, जयपुर हाउस आगरा की वर्तमान में अध्यक्षा है तथा अभियुक्त रघुनंदन पाराशर, अभियुक्ता अनीता पाराशर का पति है। वादी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने एवं संस्थान की भूमि/संपत्ति को हड़पने के आशय से वादी एवं अन्य सदस्यों के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर करके कार्यकारिणी सभी दर्शाकर संस्था का नवीनीकरण कराया गया है, जब कि कथित संस्था की भूमि वादी के पूर्वजों की है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला को वादी के कथित हस्ताक्षर की जांच हेतु जो प्रपत्र भेजे गये, उनमें कथित सोसाइटी के मूल रूप से गठन से सम्बन्धित प्रपत्र जो वर्ष 2010 के हैं, नहीं भेजे गये तथा वादी भिन्न प्रकार से हस्ताक्षर करता है।

तत्सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की आख्या दिनांकित 30.01.2018 के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा को रामरघु एजुकेशनल सोसाइटी 278 जयपुर हाउस आगरा की मीटिंग की कार्यवाही दिनांकित 12.06.2015, दिनांकित 05.07.2016, उप निबन्धक फर्मस सोसाइटी तथा चिट्स आगरा को सम्बोधित पत्र, समिति की साधारण सभा सूची वर्ष 2015–16, आदि सहित राम रघु एजूकेशनल सोसाइटी आगरा का स्मृति पत्र दिनांकित 25.06.2010, समिति की नियमावली दिनांकित 25.06.2010, उप

निबन्धक फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स आगरा को सम्बोधित पत्र एवं शपथपत्र दिनांकित 30.06.2010 भी प्रेषित किये गये। इसके अतिरिक्त वादी ब्रजेश शुक्ला के नमूना हस्ताक्षर भी प्रेषित किये गये, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि नमूना हस्ताक्षर चिन्हित एस–1 से एस–6, ए–1 से ए–12 को लिखा है, उसने विवादित हस्ताक्षर चिन्हित क्यू–1 से क्यू–22 को नहीं लिखा है।

तत्सम्बन्ध में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि जितनी संख्या में प्रपत्र परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये थे, इतने प्रपत्र वापस नहीं किये गये हैं।

तत्सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है तथा अभियुक्तगण की ओर से संज्ञान आदेश के विरूद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 470/2022 योजित किया गया, जिसमें उपरोक्त वर्णित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के बिन्दु को उद्वेलित किया गया था, जिसके संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.03.2026 के माध्यम से दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के मध्य यह निर्विवादित तथ्य है कि पक्षगण के मध्य कथित सोसाइटी के नवीनीकरण हेतुं वादी के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर से दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना कहा गया है। उपलब्ध प्रपत्रों से यह भी परिलक्षित होता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, को वादी के हस्ताक्षरों की जांच हेतु प्रेषित प्रलेखों में सोसाइटी के वर्ष 2010 में गठन से सम्बन्धित प्रपत्र भी प्रेषित किये गये, जिनके आधार पर वादी के हस्ताक्षर कूटरचित होना कहा गया है। यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत होकर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को संज्ञान लिया गया, तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुनः दिनांक 01.07.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है, जिसके विरूद्ध योजित दाण्डिक पुनरीक्षण भी गुणदोष के आधार पर दिनांक 18.03.2026 को निरस्त हो चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 6598/2026 अनीता पराशर एवं एक अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, याचीगण की ओर से उक्त याचिका प्रत्याहरित किये जाने की प्रार्थना पर आदेश दिनांकित 12.03.2026 के माध्यम से निरस्त की जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र कर कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर सोसाइटी का नवीनीकरण कराया जाना एवं वादी की भूमि पर बने संस्थान को हड़पने हेतु कथित कार्यवाही किया जाना आक्षेपित है। प्रकरण वर्ष 2017 से सम्बन्धित है एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 01.07.2022 को अन्तिम रूप से संज्ञान लिया जा चुका है, परन्तु वर्तमान तक अभियुक्तगण प्रकरण में उपस्थित नही हुए हैं एवं विचारण में विलम्ब हुआ है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों, अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं एवं अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण रघुनंदन पाराशर तथा अनीता पाराशर का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश, आगरा
17.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.17 17:07:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court